भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र
(सतर्कता अनुभाग)

डाकघर : केट
इंदौर : 452013

संदर्भ सं. आरआरकेट/प्रशा/मुप्रअ/2021

दिनांक : 23.05.2021

परिपत्र

विषय : दिनांक 22.05.2021 से आरआरकेट आवासीय कॉलोनी को कन्टेनमेंट जोन के रूप में घोषित करने के संबंध में.

जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर, इंदौर द्वारा आरआरकेट कॉलोनी को कन्टेनमेंट जोन घोषित किए जाने के संबंध में स्थानीय प्राधिकरण के निर्णय संबंधी सूचना के दिनांक 21.05.2021 के परिपत्र के क्रम में, दिनांक 22.05.2021 को आरआरकेट के दौरे के दौरान उप-खंड दंडाधिकारी के साथ तथा दिनांक 23.05.2021 को जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर, इंदौर के साथ बैठक आयोजित हुई थी.

2. मेन गेट से आवाजाही के तौर-तरीकों और चिकित्सा/आवश्यक सेवा कर्मचारियों के लिए आगंतुक पास जारी करने से संबंधित मामलों पर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर तथा उप-खंड दंडाधिकारी से चर्चा की गई और इस बात पर सहमति बनी कि आरआरकेट कॉलोनी से बाहर रहने वाले आवश्यक सेवा स्टाफ तथा पदाधिकारियों को न्यूनतम संख्या में कॉलोनी में मेन गेट से आने-जाने की अनुमति दी जाएगी. आवश्यक सेवा स्टाफ में अग्निशमन सेवा एवं सुरक्षा, मेडिकल, इलेक्ट्रिकल एवं जल आपूर्ति, सिविल रख-रखाव, आईटी तथा आवश्यक सेवाओं जैसे कचरा एकत्रित करना तथा उसका निपटान करना, जलपान सेवाएं तथा आरएमसी में हाउसकीपिंग, सुरक्षा, अतिथिगृह/छात्रावास इत्यादि के लिए आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ शामिल हैं. उप-खंड दंडाधिकारी के कार्यालय में भेजी गई सूची के आधार पर प्रवेश और निकास की अनुमति दी जाएगी और उप-खंड दंडाधिकारी की अनुपस्थिति में अनुमति पत्र पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या संपदा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएगा. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या संपदा अधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञा के आधार पर उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, आरआरकेट द्वारा प्रवेश और निकास को विनियमित किया जाएगा. पारवहन (आवागमन) के समय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर कर्मचारियों, जिसमें आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ शामिल हैं, को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/संपदा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित "आरआरकेट का आवश्यक ड्यूटी पास" प्रदर्शित करना आवश्यक है. उप-खंड दंडाधिकारी ने अनुरोध किया है कि कॉलोनी की कन्टेनमेंट अवधि के दौरान आवश्यक ड्यूटी के लिए बहुत दूर से आने वाले स्टाफ के लिए आरआरकेट अतिथिगृह/ खाली फ्लैट्स में रहने की व्यवस्था की जाए.

श्री गो नाग
24/5/4

3. जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेश के अनुसार उप-खंड दंडाधिकारी ने अनुदेश दिया है कि चिकित्सकीय आपातस्थिति होने पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा रेफ़र किए जाने एवं समीप की मेडिकल शॉप से दवाई लाने के आलावा कॉलोनी में तथा मेन गेट पर निवासियों के नियमित रूप से होने वाले सभी आवागमन बंद कर दिए जाएं.

4. आरआरकेट के सभी निवासियों से अनुरोध है कि उप-खंड दंडाधिकारी के उपर्युक्त अनुदेशों को नोट करें तथा आरआरकेट कॉलोनी की कन्टेनमेंट अधिसूचना की अवधि तक इनका सख्ती से पालन करें.

5. आरआरकेट आवासीय कॉलोनी के सभी निवासियों से सहयोग अपेक्षित है.

यह निदेशक, आरआरकेट के अनुमोदन से जारी किया जाता है.

गोंडाणे
24.5.21
(एस.एस. गोंडाणे)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

मेलऑल तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से आरआरकेट आवासीय कॉलोनी के सभी निवासी